(7)

राज्य सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 8(35)/नविवि/सेक्टर प्लान/2015 दिनांकः- 16 MAY 2018

आदेश

नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एवं ही प्रकार के नगर नियोजन संबंधी तकनीकी कार्यो के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशो/दिशा- निर्देशो के तहत कार्यो के क्रियान्वयन/अनुपालना में आ रही विसंगतियो के संबंध में माननीय मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 15.02.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व मे जारी आदेशो में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. नगर नियोजन विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य

मास्टर प्लान्स/जोनल डलवपमेंट प्लान्स, ले-आउट प्लान्स का तकनीकी अनुमोदन, भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण, नियमानुसार भवन मानचित्र प्रकरणों में तकनीकी राय इत्यादि, समस्त कार्य नगर नियोजन विभाग के माध्यम से किये जावेंगे।

2. ले-आउट प्लानः-

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम-2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.06.2012 एवम् आदेश दिनांक 21.02.2018 की पालना करते हुए नियमानुसारगठित ले-आउट प्लान समिति द्वारा ही ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जावेंगे। ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु समिति में रखने से पूर्व क्षेत्रीय वरिष्ठ/उप नगर नियोजक की राय भी प्राप्त की जावेगी। जिन स्थानीय निकायों में नगर नियोजन सहायक/नगर नियोजक पदस्थापित हैं, वहाँ पर स्थानीय निकाय के नगर नियोजन सहायक/नगर नियोजक द्वारा प्रकरण का तकनीकी परीक्षण कर, अपनी टिप्पणी सहित, प्रकरण नगर नियोजन कार्यालय को भिजवाया जावेगा।

3. भू-उपयोग परिवर्तनः-

नगर पालिका/परिषद् स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में आदेश दिनांक 08.06.2015 के अनुसार नगर नियोजन विभाग के जिला/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक यथावत सदस्य होंगे। स्थानीय निकाय के आदेश दिनांक 01.03.2017 अनुसार स्थानीय निकाय में पदस्थापित नगर नियोजक भी समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे।

4. भवन मानचित्र अनुमोदन :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम,2009 की धारा 194 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के क्रम में भवन मानचित्र स्वीकृति के प्रकरणों में नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से तकनीकी राय प्राप्त की जावेगी ।

5. मास्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रक्रिया में समरूपता बाबत् :-

वर्तमान मास्टर प्लान्स का रिव्यू किये जाने तथा संशोधित मास्टर प्लान्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा हेतु दिनांक 12.07.2017 को माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवम् स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मास्टर प्लान्स में संशोधन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-

अ) मास्टर प्लान में संशोधन :- मास्टर प्लान बनाते समय सहवन से रह गई त्रुटियों को दूर करने हेतु नगर सुधार अधिनियम की धारा 5 के तहत आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने के उपरान्त नगर नियोजन विभाग से परीक्षण करवाया जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत राज्य सरकार द्वारा संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की जावेगी।

ब) मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन :- स्थानीय निकाय द्वारा मास्टर प्लान बनाने के पश्चात् मौका स्थिति में हुये परिवर्तनों व विकास की नई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव प्रेषित करने पर अथवा विभिन्न आवेदकों द्वारा अन्य भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों के प्रावधानों के तहत प्रकरणों का परीक्षण कर सक्षम भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।